250

संख्या–467/VI/2014–72(1)/2010

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 28 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2014

विषयः– जपनद देहरादून के ऋषिकेश में हिमालयन म्यूजियम(संग्रहालय) निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–822/सं0नि0उ0/दो–3/2014–15 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के ऋषिकेश में हिमालयन म्यूजियम (संग्रहालय) निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ₹ 1220.95 लाख(बारह करोड़ बीस लाख पिचानब्बे हजार) मात्र (80 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि ₹976.76 लाख तथा राज्यांश ₹ 244.19 लाख)धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक में प्राविधानित बजट ₹ 350.00 लाख (₹ तीन करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वोकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2013 दिनांक 18 मार्च, 2014 निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

(ii) कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–08 के निहित शर्तो के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) आगणन में इंगित अधिप्राप्ति की मदों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन करते हुए ही धनराशि आहरित/व्यय की जायेगी।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

7– विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

8– स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

9–उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च 2015 से पूर्व पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

10– धनराशि व्यय करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर शासन के माध्यम से भारत सरकार का प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा और भारत सरकार से अग्रेत्तर किस्त स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में निदेशक,संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड के स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV –219 (2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12– व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रत्येक कार्य के आगणनों /पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से

कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

13– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

14– वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –04 कला एवं संस्कृति –106 संग्रहालय –01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0102–क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयन,स्थापना एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना –24–वृहद निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

15– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–172(P)/XXVII(3)/2014–15 दिनांकः 09 अक्टूबर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 467/VI/2014–72(1)2010तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव।